

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 133/2013

संस्थापित दिनांक 18/03/2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

#### बनाम

1. रामवरन पुत्र खासाराम कुशवाह उम्र  
32 वर्ष निवासी ग्राम केशवपुरा डि.  
बिजौली ग्वालियर म.प्र.
2. शिवबाबू पुत्र चिन्नुबाद केवट उम्र  
24 वर्ष निवासी ग्राम कमराठा पी.एस.  
करारा जिला हमीरपुर उ.प्र.
3. संग्राम पुत्र बेताल सिंह उम्र 22 वर्ष  
निवासी ग्राम मौसौरा जिला मुरैना म.प्र.
4. बादाम पुत्र रामवरन सिंह तोमर उम्र  
23 वर्ष निवासी ग्राम मौसौरा जिला  
मुरैना म.प्र.

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 380 भा0द0सं0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार।)  
(आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू द्वारा अधिवक्ता— श्री बी.एस.यादव।)  
(आरोपी बादाम एवं संग्राम द्वारा अधिवक्ता— श्री सुरेश गुर्जर।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 06/03/17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 04/02/13 को लगभग साढ़े आठ बजे एटलस साइकिल फैंक्ट्री मालनपुर के स्टोर जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता था से सुरक्षा अधिकारी दलेल सिंह के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना तीन बोरे साइकिल ट्यूब बेईमानी पूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 380 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी दलेल सिंह एटलस साइकिल फैंक्ट्री में सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके अधीनस्थ दस सुरक्षा गार्ड थे। घटना दिनांक

04/02/13 को शाम साढ़े आठ बजे उसने साइकिल ट्यूब स्टोर में ट्यूब बोरों को चैक किया था तो स्टोर में तीन साइकिल ट्यूब नहीं थे। फैक्ट्री में ही काम करने वाले श्रमिकों ने स्टोर में से चोरी कर ली थी। दिनांक 05/02/13 को दिन में उसने श्रमिकों से चोरी के संबंध में पूछताछ की थी तो पता नहीं चला था उसने पुनः दिनांक 06/02/13 को फैक्ट्री में काम करने वाले सभी श्रमिकों को समझाकर पूछताछ की थी तो श्रमिक रामवरन एवं शिवबाबू ने बताया था कि उन दोनों ने बादाम गुर्जर एवं संग्राम गुर्जर के साथ मिलकर स्टोर में से तीन साइकिल ट्यूब चोरी से निकालर दीवार से बाहर फेंक दिये थे। दो बोरे बादाम गुर्जर एवं संग्राम गुर्जर ले गये थे तथा एक बोरा फैक्ट्री की दीवार के पास झाड़ियों में रखा है, फिर वह अपनी फैक्ट्री की झाड़ी से एक बोरा ट्यूब एवं दोनों श्रमिकों को लेकर मालनपुर थाने रिपोर्ट करने गया था। फरियादी दलेल सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र. 26/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 04/02/13 को लगभग साढ़े आठ बजे एटलस साइकिल फैक्ट्री मालनपुर के स्टोर से सुरक्षा अधिकारी फरियादी दलेल सिंह के आधिपत्य से 3 बोरे साइकिल ट्यूब उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी बलवीर अ.सा. 1, आरक्षक फरीद खान अ.सा. 2, आरक्षक दिलीप सिंह अ.सा. 3 एवं ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी बलवीर अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है वह मालनपुर में एटलस फैक्ट्री में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले की है। एटलस कम्पनी में ट्यूब का बोरा रोड पर बहार पड़ा हुआ था उसे लोगों ने बताया था कि आपका बोरा बाहर पड़ा है तो उसने बोरा अंदर रखवा दिया था इसके बाद उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने

अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने रघुवीर सिंह एवं दलेल सिंह के साथ स्टोर को चैक किया था तो वहां पर ट्यूब के तीन बोरे नहीं पाये गये थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि दिनांक 06/02/13 को सभी श्रमिकों से पूछताछ की गयी थी तो आरोपी रामवरन कुशवाह एवं शिवबाबू केवट ने बादाम और संग्राम के साथ मिलकर स्टोर में बोरे चुराना बताया था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि झाड़ियों के पास सुरक्षा अधिकारी दलेल सिंह कुशवाह को बोरे मिले थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 4 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को चोरी करते हुए नहीं नहीं देखा था।

8. ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 जो कि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसे दिनांक 06/02/13 को उक्त अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुयी थी विवेचना के दौरान उसने आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 5 एवं प्रदर्श पी 6 बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी रामवरन से पूछताछ कर धारा 27 का ज्ञापन लिया था। आरोपी ने बताया था कि उसने एटलस फैक्ट्री के पीछे गाड़ी में छिपाकर बोरा रख दिया है। वह एक बोरा साथ लेकर आये हैं। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 2 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी शिवबाबू ने भी धारा 27 के ज्ञापन में बताया था कि बोरे को उसने फैक्ट्री के पीछे झाड़ी में छिपाकर रख दिया है एवं एक बोरा वह साथ लेकर आये हैं। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी रामवरन से एक बोरा एटलस साइकिल ट्यूब जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 4 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी बादाम एवं संग्राम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 10 एवं 11 बनाया था, जिनके क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी बादाम एवं संग्राम को धारा 27 के अंतर्गत ज्ञापन लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दो बोरे उन लोगों के पास हैं, वह सूर्या हाईट के पीछे झाड़ियों में छिपाकर रखे हैं। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने आरोपी बादाम से एक प्लास्टिक की बोरी में रबर के सौ ट्यूब जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 8 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी संग्राम से भी बोरी के सौ ट्यूब जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 9 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे केस डायरी दिनांक 04/02/13 को विवेचना हेतु प्राप्त हुयी थी एवं अन्य प्रकरण में व्यस्त होने के कारण वह तीन दिन बाद घटनास्थल पर गया था उसे घटना स्थल पर दलेल सिंह मिले थे एवं दलेल सिंह की उपस्थिति में नक्शा मौका बनाया गया था। उक्त दिनांक को ही उसने संग्राम एवं बादाम को फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार किया था। उक्त दोनों लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए आये थे। दिनांक 06/02/13 को उसने आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू को गिरफ्तार किया था। उक्त आरोपीगण को उसने फैक्ट्री से गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी शिवबाबू, रामवरन, बादाम एवं संग्राम फैक्ट्री में मजदूरी करने आते थे उसने मौके पर ही गिरफ्तारी की थी, जप्ती की थी एवं मेमोरेण्डम लिया था।

9. साक्षी फरीद खान अ.सा. 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू को जानता है। संग्राम सिंह और बादाम सिंह को नहीं जानता है। दिनांक 06/02/13 को दरोगा जी ने आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू को गिरफ्तार किया था। आरोपीगण ने अपना जुर्म कबूल किया था कि एटलस साइकिल के ट्यूब एटलस फैक्ट्री के पीछे झाड़ी में रखे हैं। आरोपी द्वारा दिये गये कथन पर उसने दरोगा जी एवं आरक्षक दिलीप ने आरोपी द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर ट्यूब जप्त किये थे। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी शिवबाबू का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।



जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपंचनामा एटलस फैक्ट्री के पास बनाया गया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 5 एवं प्रदर्श पी 6 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि रामवरन का मेमोरेण्डम एटलस फैक्ट्री के पास बनाया गया था एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि मेमोरेण्डम थाने पर बनाया गया था। पद क्र. 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्रदर्श पी 4 का जप्ती पंचनामा घटना स्थल पर बनाया गया था उस समय वह एवं सुरक्षा कर्मी था।

10. आरक्षक दिलीप शर्मा अ.सा. 3 ने भी अपने कथन में बताया है कि दिनांक 07/02/13 को आरोपी संग्राम सिंह एवं बादामसिंह ने पुलिस अभिरक्षा में बताया था कि उन्होंने एटलस फैक्ट्री के पीछे सूर्या हाईमास की झाड़ियों में साइकिल ट्यूब की एक-एक बोरियां छिपायी थीं। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूर्या हाई मास फैक्ट्री से माल जप्त किया गया था। दोनों आरोपीगण ने एक-एक बोरी-बोरी जप्त की गयी थी। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 8 एवं प्रदर्श पी 9 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आरोपीगण बादामसिंह एवं संग्राम दोनों को सूर्या फैक्ट्री के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। धारा 27 मेमोरेण्डम की लिखा-पढ़ी भी फैक्ट्री के अंदर की गयी थी।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी दलेलसिंह को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक 04/02/13 को एटलस साइकिल फैक्ट्री मालनपुर से तीन बोरे साइकिल ट्यूब की चोरी हुयी थी? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी दलेल सिंह एवं साक्षी रघुवीर सिंह को अदम पता हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया जा सका है। शेष साक्षी बलवीर अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी रामवरन, शिवबाबू संग्राम एवं बादाम को नहीं जानता है। वह मालनपुर में एटलस फैक्ट्री में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले की है। एटलस कम्पनी में ट्यूब का बोरा बहार रोड पर पड़ा था उसे लोगों ने बोरे के बारे में बताया था तो उसने बोरा अंदर रखवा दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने घटना दिनांक को फरियादी दलेलसिंह के साथ मिलकर स्टोर में ट्यूब के बोरो को चैक किया था तो उसे बोरे नहीं मिले थे एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू ने बादाम एवं संग्राम के साथ मिलकर तीन बोरे ट्यूब चोरी करना बताया था। इस प्रकार साक्षी बलवीर अ.सा. 1 के कथन से यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षी द्वारा घटना दिनांक को ट्यूब की चोरी होने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि ट्यूब का बोरा रोड पर पड़ा हुआ था तो उसने उठाकर अंदर रखवा दिया था। उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि घटना दिनांक को एटलस फैक्ट्री से साइकिल ट्यूब के बोरो की चोरी हुयी थी। यद्यपि साक्षी बलवीर सिंह के पुलिस कथन प्रदर्श पी 1 में साइकिल ट्यूब चोरी होने का उल्लेख है, परंतु यह बात साक्षी बलवीर अ.सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बतायी गयी है। उक्त साक्षी का मात्र यही कहना है कि एटलस कम्पनी में ट्यूब का बोरा बहार रोड पर पड़ा था तो उसने उठाकर अंदर रखवा दिया था। उक्त साक्षी ने घटना दिनांक को ट्यूब के बोरो की चोरी होने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को एटलस साइकिल फैक्ट्री से तीन बोरे

ट्यूब के चोरी हुये थे। अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह ही प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को एटलस फैक्ट्री के तीन बोरे साइकिल ट्यूब की चोरी हुयी थी।

13. इस प्रकार पूर्व में की गयी विवेचना से सर्वप्रथम यही प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को एटलस फैक्ट्री से तीन बोरे साइकिल ट्यूब की चोरी हुयी थी, परंतु फिर भी यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि घटना दिनांक को एटलस फैक्ट्री से तीन बोरे साइकिल ट्यूब के चोरी हुये थे तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उक्त चोरी आरोपीगण द्वारा ही कारित की गयी थी? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में चोरी की रिपोर्ट फरियादी दलेलसिंह द्वारा की गयी है एवं दलेल सिंह के अदम पता हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सकता है।

14. ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 जो कि जप्तीकर्ता है ने अपने कथन में यह बताया है कि उसे उक्त प्रकरण विवेचना हेतु दिनांक 04/02/13 को प्राप्त हुआ था, परंतु वह अन्य प्रकरण में व्यस्त होने के कारण केस डायरी प्राप्त होने के तीन दिन बाद घटनास्थल पर गया था जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06/02/13 अंकित है इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में रिपोर्ट दिनांक 06/02/13 को लिखी गयी है जबकि विवेचक आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त प्रकरण विवेचना हेतु दिनांक 04/02/13 को ही प्राप्त होना बताया है इस प्रकार उक्त बिंदु पर आशाराम गौण अ.सा. 4 के कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभाषी रहे हैं इसके अतिरिक्त ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने कथन में आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 5 एवं प्रदर्श पी 6 बनाना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसने आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू को फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार किया था जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी दलेल सिंह एवं शिवबाबू को साथ लेकर थाने आने का उल्लेख है एवं आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू के गिरफ्तारी पंचनामे प्रदर्श पी 5 एवं प्रदर्श पी 6 में भी उक्त आरोपीगण को थाना मालनपुर में गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख है जबकि ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने आरोपी रामवरन कुशवाह एवं शिवबाबू केवट को फैक्ट्री से गिरफ्तार किया था। इस प्रकार उक्त बिंदु पर आशाराम गौण अ.सा. 4 के कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी 5 एवं 6 के गिरफ्तारी पंचनामे से भी पुष्ट नहीं रहे हैं जो अभियोजन कहानी के प्रति संदेह उत्पन्न कर देते हैं।

15. ए.एस.आई. आशाराम गौण ने अपने कथन में यह भी बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू ने यह बताया था कि उन्होंने बोरे छिपाकर रखे थे एवं वह एक बोरा साथ लेकर आये हैं जबकि आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 2 एवं प्रदर्श पी 3 के साक्षी फरीद खान अ.सा. 2 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू ने पूछताछ के दौरान साइकिल के ट्यूब एक बोरी में भरकर एटलस फैक्ट्री के पीछे झाड़ी में रखना बताया था तथा आरोपीगण द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उसने एवं आरक्षक दिलीप तथा दरोगाजी ने बताये हुये स्थान पर जाकर ट्यूब जप्त किया था। इस प्रकार आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू चोरी किये गये ट्यूब का बोरा साथ लेकर आये थे जबकि साक्षी फरीद खान अ.सा. 2 का कहना है कि उसने आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू के बताये हुए स्थान से जाकर ट्यूब जप्त किये थे। इस प्रकार उक्त बिंदु पर ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 के कथन साक्षी फरीद खान अ.सा. 2 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं जो अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

16. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने कथन में आरोपी बादाम व संग्राम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 10 एवं 11 बनाना बताया है तथा आरोपी संग्राम एवं बादाम से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 बनाना बताया है एवं आरोपी बादाम से प्लास्टिक की बोरी में रबर के सौ ट्यूब जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 8 एवं संग्राम से ट्यूब जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 9 बनाना बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी संग्राम एवं बादाम को कितने बजे गिरफ्तार किया था एवं कितने बजे चोरी के संबंध में पूछताछ की थी। आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने रामवरन एवं शिवबाबू तथा संग्राम सिंह एवं बादाम को फैक्ट्री एरिया से गिरफ्तार किया था जबकि आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू के गिरफ्तारी पंचनामे प्रदर्श पी 5 एवं प्रदर्श पी 6 में उक्त आरोपीगण को थाना मालनपुर में गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख है। साक्षी आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसने मौके पर जप्ती एवं गिरफ्तारी की थी तथा मेमोरेण्डम लिया था इस प्रकार आशाराम के कथनानुसार उसने सभी आरोपीगण को फैक्ट्री एरिया में ही गिरफ्तार किया था वहीं उनसे चोरी के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम लिया था तथा वहीं पर आरोपीगण से जप्ती की थी, परंतु गिरफ्तारीपंचनामा प्रदर्श पी 5 एवं 6 में आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू को थाना मालनपुर में गिरफ्तार करने का उल्लेख है तथा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 2 एवं 3 में आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू से थाना मालनपुर में पूछताछ करने का उल्लेख है एवं जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 4 में आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू से थाना मालनपुर में ही एक बोरा ट्यूब जप्त किये जाने का उल्लेख है, इसके अतिरिक्त आरोपी संग्राम एवं बादाम सिंह के मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 7 में यह अंकित नहीं है कि उक्त आरोपीगण के मेमोरेण्डम किस स्थान पर लिये गये थे। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं पर ए.एस. आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 के कथन गिरफ्तारीपंचनामा प्रदर्श पी 5 एवं 6, मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 2 एवं 3 तथा जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 4 से पुष्ट नहीं रहे हैं जो सम्पूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

17. आशाराम गौण अ.सा. 4 ने आरोपी बादाम सिंह एवं संग्राम सिंह से सूर्या हाईबास फैक्ट्री के पीछे से दो बोरे ट्यूब जप्त करना बताया है, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने कितने समय आरोपी बादाम सिंह एवं संग्राम सिंह से ट्यूब जप्त किये थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस स्थान से आरोपी बादाम सिंह एवं संग्राम सिंह से ट्यूब के बोरे जप्त होना बताया गया है वह खुली जगह है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

18. ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू एक-एक बोरा ट्यूब साथ लेकर आये थे, जबकि फरीद खान अ.सा. 2 द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू द्वारा एटलस साइकिल के ट्यूब एटलस फैक्ट्री के पीछे झाड़ी में रखे होना बताया गया था एवं उसने व दरोगा जी ने आरोपीगण द्वारा बताये गये स्थान पर ट्यूब जप्त किये थे तथा जप्तीपंचनामा एटलस फैक्ट्री के पास बनाया गया था। इस प्रकार फरीद खान अ.सा. 2 ने आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू से एटलस फैक्ट्री के पास ट्यूब जप्त होना बताया है जबकि जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 4 में आरोपी रामवरन एवं शिवबाबू से थाना मालनपुर में ट्यूब जप्त किये जाने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरीद खान अ.सा. 2 के कथन जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 4 से भी विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं।

19. आरक्षक दिलीप सविता अ.सा. 3 ने प्रदर्श पी 7 के मेमोरेण्डम की लिखापट्टी फैक्ट्री के अंदर होना बताया है, परंतु इस तथ्य का उल्लेख प्रदर्श पी 7 के मेमोरेण्डम में नहीं है। आरक्षक दिलीप सविता अ.सा. 3 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी बादाम सिंह एवं संग्राम सिंह को नहीं



जानता है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देते हैं। चोट

20. ए.एस.आई. आशाराम गौण अ.सा. 4 ने आरोपी रामवरन, शिवबाबू, बादाम एवं संग्राम से एटलस साइकिल के ट्यूब जप्त होना बताया है, परंतु उक्त संबंध में कोई शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराई गयी है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

21. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में यह ही प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को एटलस फैंक्ट्री मालनपुर से साइकिल ट्यूब की चोरी हुयी थी। इसके अतिरिक्त प्रकरण में साक्षी फरीद खान अ.सा. 2, दिलीप सविता अ.सा. 3 एवं आशाराम गौण अ.सा. 4 के कथन परस्पर विरोधाधी रहे हैं। जप्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है। प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी नहीं कराई गयी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

22. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे एवं यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

23. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 04/02/13 को लगभग साढ़े आठ बजे एटलस साइकिल फैंक्ट्री मालनपुर के स्टोर जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता था से सुरक्षा अधिकारी फरियादी दलेल सिंह के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना तीन बोरे साइकिल ट्यूब बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय संदेह का लाभ देते हुए आरोपी रामवरन, शिवबाबू, संग्राम एवं बादाम सिंह को भा.दं.सं. की धारा 380 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

24. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा साइकिल ट्यूब पूर्व से सुर्पुदगी पर हैं। अतः उनके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 06/03/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित  
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)